

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक D | 2863

जबलपुर, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता जबलपुर,
 2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.
 3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
 4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....(समस्त), म.प्र.,
 5. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
 6. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय.....(समस्त) म.प्र.,
 7. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. ओ.एस.डी.(लेखा).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 9. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/जिला स्था./सतर्कता/आई.एल./एकजाम, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 10. ओ.एस.डी.(कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 11. रजिस्ट्रार (ई.)/ओ.एस.डी.कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 12. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 13. मेम्बर सेकेटरी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा समिति जबलपुर, म.प्र.,
 14. मेम्बर सेकेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 15. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 16. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 17. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 18. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम.)(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 19. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 20. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेकेटरी टू द जेजस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 21. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता, महोदय के सेकेटरी टू द जेजस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 22. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 23. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 24. सहायक(स्थापना)/(सैट)/(लेखा)/(बजट)/(पेंशन)/(वेतनपत्रक)/(अवकाश) (राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक-F-3/1/2/
0010 / 2023-GAD-8-01 भोपाल दिनांक 27.04.2023

(विकास चन्द्र मिश्र)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

२
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक- F-3/1/2/0010/2023-GAD-8-01

भोपाल दिनांक 27.04.2023

प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों संबंधी
निर्देश।

राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक WP 24408/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारियों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है -

1. प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् आवश्यक तैयारी के साथ राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए।
2. रिटर्न/ जवाब / अंतरिम आवेदन आदि तैयार कर रहे राज्य के अधिवक्ता को आवश्यक समस्त जानकारी दी जावे।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, राज्य के अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट न्यायालय प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की प्रगति के बारे में सचेत रहें।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश की प्रतियां होंगी।
5. न्यायालय की कार्यवाही में सामान्यतः केवल प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने की अनुमति होगी। अन्य अधिकारी उपस्थित हो सकेंगा जो राजपत्रित श्रेणी से निम्न स्तर का न हो।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान औपचारिक परिधान पहनेंगे।

8. महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचने के पूर्व प्रकरण का प्रभारी अधिकारी, विभाग के नोडल अधिकारी / सक्षम अधिकारी से संपर्क करे, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा।
 9. प्रभारी अधिकारी, उस विधि अधिकारी से जिसे फाईल चिन्हित की गई है, संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/अपील/ संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाईल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।
 10. प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के संबंध में सक्षम विभागीय प्राधिकारी से आवश्यक संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 11. प्रभारी अधिकारी मुकदमे के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा।
 12. प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद प्रस्तुत करे।
 13. प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लेखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण / सेवा निवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख / सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।
 14. प्रभारी अधिकारी किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित होने की दशा में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसके विरुद्ध आवश्यक अपील करने के संबंध में अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त करेगा। तदोपरान्त वह विभाग के सक्षम अधिकारी को इसकी सूचना देगा।
- 2/ कृपया उक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएं।



(विनोद कुमार) २३/५/२०२२
 अपर मुख्य सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग
 निरंतर...3

पृष्ठा. क्रमांक- F-3/1/2/0010/2023-GAD-8-01

भोपाल दिनांक 27.04.2023

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
- ✓ 2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
14. सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
16. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
17. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर।
18. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
19. सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।

27.04.2023
(शैलबाला मार्टिन)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

